दैनिक भारत कि
# तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com
Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

## घनसावंगी तहसील कार्यालय का मनमानी कारभार

### जन्म प्रमाणपत्र के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने में टालमटोल

(प्रतिनिधि) सलमान पठान

विस्तृत समाचार इस प्रकार है कि,

मौजे सौंदलगांव के सलमान पठान को अपने परिवार के सदस्य का जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए तहसील कार्यालय, घनसावंगी में २०२४ से मामला लंबित पड़ा हुआ है।

इसके बाद पठान ने २३/१२/२०२४ को शासन के नए जी.आर. के अनुसार सभी आवश्यक दस्तावेज और उसमें १९५९ का पुराना राजस्व रिकॉर्ड संलग्न कर प्रस्ताव पूर्ण रूप से दाखिल किया।

इस कारण पठान परिवार को मानसिक त्रास सहना पड़ रहा है। सौंदलगांव से घनसावंगी की दूरी ३६ किलोमीटर है और बार-बार चक्कर लगाने के कारण पठान मानसिक तनाव में हैं।

उक्त जन्म प्रमाणपत्र सरकारी और निजी कामों के लिए आवश्यक है। पठान (टीपू सुल्तान ब्रिगेड, तालुका अध्यक्ष, घनसावंगी) का कहना है कि बच्चों के स्कूल में जन्म प्रमाणपत्र देना जरूरी है, अन्यथा उनका आगे की पढ़ाई के लिए आधार आईडी बनना संभव नहीं है।

बीड (महाराष्ट्र) वर्ष-२ ला अंक-१३ वा गुरूवार ४ सितम्बर २०२५ RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 किमत : २ रूपये पन्ने - ४

# हैदराबाद गॅझेट लागू होने से मराठों को लाभ, ओबीसी नेता नाराज: भुजबळ ने किया कैबिनेट बैठक का बहिष्कार

### जी आर कॉपी जलाई गई।

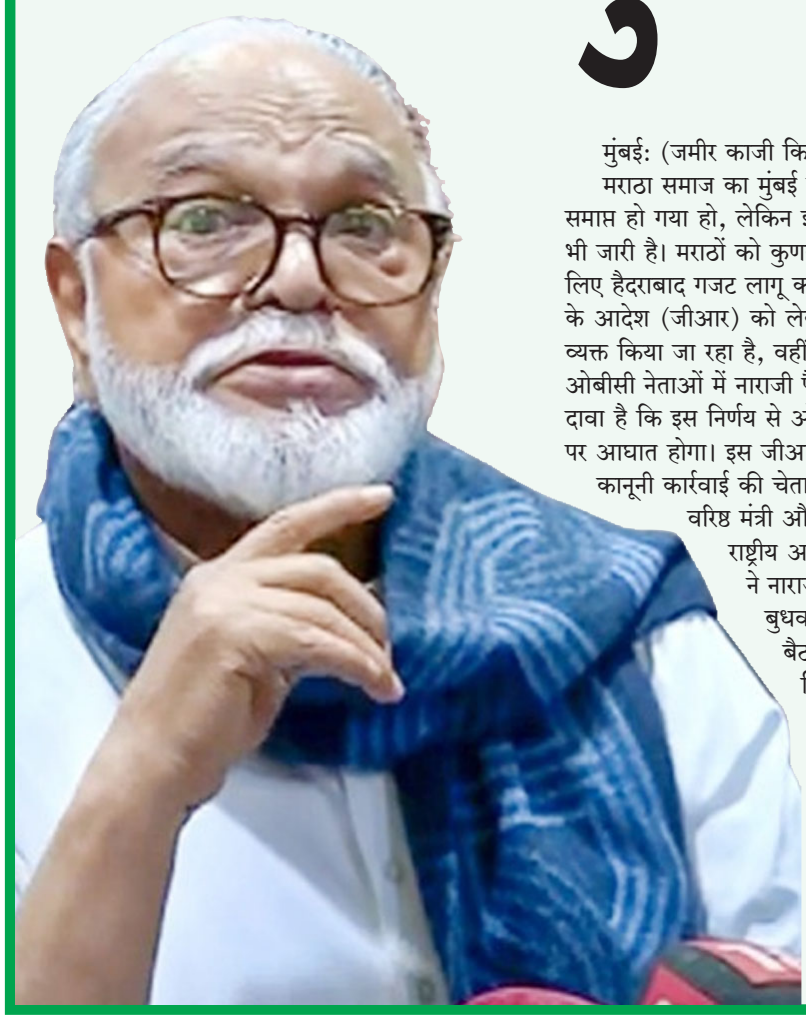

मुंबई: (जमीर काजी कि रिपोर्ट )

मराठा समाज का मुंबई में आंदोलन भले ही समाप्त हो गया हो, लेकिन इसका प्रभाव अभी भी जारी है। मराठों को कुणबी प्रमाणपत्र देने के लिए हैदराबाद गजट लागू करने के राज्य सरकार के आदेश (जीआर) को लेकर एक तरफ संदेह व्यक्त किया जा रहा है, वहीं इस फैसले से ओबीसी नेताओं में नाराजी फैल गई है। उनका दावा है कि इस निर्णय से ओबीसी के अधिकारों पर आघात होगा। इस जीआर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

वरिष्ठ मंत्री और समता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष छगन भुजबळ ने नाराजी जताते हुए बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि इस जीआर का कानूनी अध्ययन कर इसके खिलाफ चुनौती दी जाएगी।

इस बीच, ओबीसी संगठनों ने पूरे राज्य में इस जीआर की होली जलाकर सरकार का विरोध किया।

अन्न, नागरी आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ ने सह्याद्री अतिथि गृह में आयोजित कैबिनेट बैठक से पहले सुबह ११ बजे के आसपास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात की। इसके बाद वे पार्टी की बैठक में शामिल हुए, लेकिन कैबिनेट बैठक में उपस्थित न रहकर अपने वांद्रे निवास के लिए निकल गए।

२९ अगस्त से आजाद मैदान पर आंदोलन कर रहे मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील की मंगलवार को सरकार ने अधिकांश मांगें मान लीं। हैदराबाद गजट सहित दो जीआर तत्काल जारी करने के बाद मराठा आंदोलन वापस ले लिया गया। जरांगे-पाटील की सलाह पर आंदोलक अपने-अपने गांव लौट गए। जरांगे-पाटील को छत्रपति संभाजीनगर के गैलेक्सी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें दो सप्ताह आराम करने की सलाह दी है।

इस बीच, मराठा आंदोलन की ओर से अदालत में पक्ष रखने वाले वकील योगेश केदार ने सरकार के जीआर पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा, मनोज जरांगे ने मुझे जीआर की जांच की जिम्मेदारी दी थी। मैंने सच बताया, लेकिन कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। जिनके पास मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या कुणबी की नोंद है, केवल उनके कुल के लोगों को ही इस जीआर का लाभ मिलेगा। जिन मराठा भाइयों को ऐसी नोंद नहीं मिलेगी, उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जस्टिस शिंदे समिति के माध्यम से जिन्हें नोंद मिली, केवल वही लाभान्वित होंगे।

मराठा आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले विनोद पाटील ने कहा, यह जीआर नहीं, बल्कि केवल एक सूचना पुस्तिका है। सरकार ने समाज को ठगा है। उन्होंने कहा कि इस गजट को लागू करने के लिए कुणबी होने के दस्तावेज चाहिए। उन्होंने विखे-पाटील को चुनौती दी कि वे स्पष्ट करें कि इस जीआर से क्या लाभ होगा। जवाब में विखे-पाटील ने कहा कि आंदोलन के समय विनोद पाटील ताज होटल में सो रहे थे और उन्हें पहले पूरी जानकारी लेनी चाहिए।

ओबीसी संगठक लक्ष्मण हाके ने पुणे में इस जीआर की होली जलाकर विरोध किया। उन्होंने कहा, सरकार ने अवैध रूप से यह जीआर जारी किया है। उनके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। हम इसके खिलाफ तीव्र आंदोलन करेंगे और अपने अधिकारों को किसी के हवाले नहीं होने देंगे।

जाति बदलने का अधिकार नहीं: भुजबळ

इस जीआर के कुछ वाक्यों से भ्रम और संदेह पैदा हुआ है। किसी भी जाति को उठाकर दूसरी जाति में शामिल नहीं किया जा सकता, न ही जाति बदली जा सकती है। हम कानून विशेषज्ञों से चर्चा कर रहे हैं। दो दिन में इसका अध्ययन कर ओबीसी आंदोलन की दिशा तय की जाएगी। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। समाज को अभी जिला कलेक्टर और तहसीलदार को ज्ञापन देना चाहिए, इसके अलावा कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए।

छगन भुजबळ (मंत्री और ओबीसी नेता)

भुजबळ की नाराजी दूर करेंगे: एकनाथ शिंदे राज्य सरकार ने मराठा आरक्षण के लिए सभी कानूनी पहलुओं की जांच कर उचित निर्णय लिया है। इस जीआर से किसी अन्य समाज पर अन्याय नहीं होगा और उनके अधिकारों पर कोई आघात नहीं हुआ है। छगन भुजबळ के कुछ गलतफहमियां हुई हैं। मुख्यमंत्री और हम उनसे चर्चा कर इसे दूर करेंगे।

## आरक्षण की सुरक्षा के लिए ओबीसी आक्रामक!

### ओबीसी वर्ग में मराठा समाज की गैरकानूनी घुसपैठ रोको!

### सकल ओबीसी समाज की ओर से बीड़ के जिलाधिकारी को ज्ञापन प्रस्तुत

बीड़ / प्रतिनिधि

सरकार ने एस.ई.बी.सी. (SEBC) के माध्यम से मराठा समाज को पहले ही १०% आरक्षण दिया हुआ है। इसलिए ओबीसी में हाल ही में जोड़ी गई ५३ लाख प्रविष्टियाँ तुरंत रद्द की जाएँ। न्यायमूर्ति शिंदे समिति पक्षपातपूर्ण काम कर रही है, अतः इस समिति को भंग किया जाए। दिनांक ०२.०९.२०२६ को निकाला गया शासन निर्णय क्र. उतउ - २०२५ / प्र.क्र. १२९ तुरंत रद्द किया जाए - इन प्रमुख मांगों को लेकर बीड़ ज़िले के ओबीसी समाज बंधु आक्रामक हुए और बुधवार, ३ सितंबर २०२५ को बड़ी संख्या में एकत्र होकर ओबीसी वर्ग में मराठा समाज की गैरकानूनी घुसपैठ रोकने हेतु ओबीसी समाज ने समता परिषद के प्रदेश महासचिव एड. सुभाष राऊत के नेतृत्व में अपनी माँगों का ज्ञापन जिलाधिकारी बीड़ को सौंपा।

ज्ञापन में कहा गया है कि भारतीय संविधान ने सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पीड़ित और वंचित घटकों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। यह व्यवस्था करते समय संवैधानिक आयोगों के सर्वेक्षण और प्रावधानों के आधार पर मंडल आयोग की

सिफारिशों से १२ बलुतेदार, १८ अलुतेदार तथा अन्य हज़ारों पिछड़ी जातियों को ओबीसी वर्ग में समाविष्ट किया गया। सदियों तक शोषण और दासता में जीने वाले इन समुदायों को मंडल आयोग लागू होने के बाद शिक्षा, प्रशासन और राजनीति में जनसंख्या के अनुपात में २७% आरक्षण प्राप्त हुआ।

लेकिन वर्तमान में मनोज जरांगे द्वारा असंवैधानिक आंदोलन और दबाव की राजनीति के ज़रिए सरकार को विवश किया जा रहा है ताकि ओबीसी आरक्षण समाप्त किया जा सके। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से मज़बूत मराठा समाज को ओबीसी में शामिल करने के लिए शिंदे समिति के माध्यम से ५९ लाख नकली कुणबी प्रविष्टियों की घुसपैठ कराई गई है, जिससे ओबीसी समाज में चिंता, भय और असुरक्षा का माहौल बना है।

सरकार ने दबाव में आकर ५९ लाख प्रविष्टियों द्वारा मराठा समाज को ओबीसी में शामिल कर ओबीसी पर भारी अन्याय किया है। अब मुंबई में जरांगे के आंदोलन के सामने झुककर शिंदे समिति को फिर से मुदतवृद्धि देकर असली ओबीसी वर्ग के दुर्बल घटकों के अस्तित्व को मिटाने का षड्यंत्र सरकार कर रही है। इसलिए सरकार दबाव में आए बिना संवैधानिक पहलुओं को ध्यान में रखकर ओबीसी में मराठा समाज की घुसपैठ रोकें, अन्यथा ओबीसी वर्ग भी सड़कों पर उतरे बिना नहीं रहेगा। यदि ओबीसी के साथ अन्याय हुआ तो उसके परिणामों की पूरी ज़िम्मेदारी सरकार की होगी। इस अवसर पर परीट समाज के प्रदेशाध्यक्ष गणेश जगताप, बंजारा समाज के नेता प्रा. पी.टी. चव्हाण, वंजारी कर्मचारी महासंघ के बीड़ जिलाध्यक्ष मोहन आघाव, ऑल इंडिया मुस्लिम ऑर्गनाइजेशन के बीड़ जिलाध्यक्ष प्रा. रफीक बागवान, माली महासंघ के नेता प्रा. लक्ष्मण गुंजाल, सोनार समाज के एड. संदीप बेदरे, सेवालाल सेना के संस्थापक अध्यक्ष बी.एम. पवार, वंजारी समाज के नेता मौली शिरसट, केशव तांदळे, धनगर समाज की नेतृ श्रीमती मीनाक्षीताई देवकते, श्रीमती मयूरी बांगर, श्रीमती संजीवनी राऊत, सुतार समाज की किस्किंदाताई पांचाळ, समता परिषद के बीड़ शहराध्यक्ष निखिल शिंदे, युवा नेता नितीन राऊत, राजू महूवाले, शुभम राऊत, सावता काळे, दत्तात्रय गोंदणे, अजय राऊत, संतोष रासवे, माली महासंघ के धनंजय काळे, कान्हा मेत्रे, मंगेश जमदाडे, गणेश काळे, उत्तरेश्वर शेलार, अनिकेत जिरे, महेश राऊत, राहुल राऊत, कृष्णा राऊत, पिंकू कदम, अंकुश कदम, नवनाथ कदम, निखिल ढोरमारे, हर्षद राऊत, भागवत राऊत, शंकर राऊत, प्रकाश राऊत, उमेश साळुंखे, कुमार शिंदे, राणा गोरे, प्रदीप उगलमुगले, विलास राठोड़, धनंजय रोकडे, हनुमान ढाकणे, दत्ता वाघ, अजय ढाकणे, केशव तांदळे, कानिफनाथ विघ्ने, दिनेश शेप, गोपाल शिंगारे, जगन्नाथ खेत्री, ऋषिकेश रासवे, चक्रधर हिवरकर, शशी पुरी, दीपक राख, अशोक जाधव, सुमंत राऊत, संभाजी राऊत, नारायण साळुंखे, जालिंदर राऊत, नवनाथ कदम, प्रकाश राऊत, श्रीमती चंद्रकला बांगर, श्रीमती सुमन कटोर, श्रीमती उषा चव्हाण, श्रीमती जया राऊत, श्रीमती सुरेखा बिडवे, श्रीमती संगीता डोंबरे, श्रीमती रेखा शिंदे, श्रीमती साधना शिंदे, श्रीमती मनीषा ठोंबरे समेत ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले सैकड़ों ओबीसी बंधु-भगिनी और युवक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

हैदराबाद गज़ेटियर शासन परिपत्रक की होली! इस दौरान उपस्थित ओबीसी बंधु-भगिनी ने गगनभेदी नारों से जिलाधिकारी कार्यालय गूँजा दिया। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय के सामने हैदराबाद गज़ेटियर शासन परिपत्रक की होली ओबीसी समाज ने की। सरकार ने ओबीसी समाज की भावनाओं को समझते हुए तुरंत यह परिपत्रक रद्द करना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर ओबीसी के राष्ट्रीय नेता ना. छगनराव भुजबळ साहेब के नेतृत्व में तीव्र आंदोलन किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो मुंबई भी बंद की जाएगी - ऐसी चेतावनी समता परिषद के प्रदेश महासचिव एड. सुभाष राऊत ने दी।

## ओबीसी के लिए मंत्रिमंडल उपसमिति की स्थापना!

### अध्यक्ष बावनकुले समेत आठ सदस्यों का समावेश

जमीर काज़ी

मुंबई :

मराठा समाज के लिए हैदराबाद गजट लागू करने के कारण नाराज़ हुए ओबीसी समाज को साधने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इस समाज के लिए स्वतंत्र मंत्रिमंडल उपसमिति का गठन किया गया है और अध्यक्ष पद पर राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की नियुक्ति की गई है।

ओबीसी उपसमिति बनाने के प्रस्ताव को बुधवार को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी। इसमें कुल ८ सदस्य होंगे, जिनमें भाजपा के ४ और शिवसेना शिंदे गुट व राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के २-२ मंत्रियों का समावेश है।

मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मनोज जरांगे के नेतृत्व में मुंबई में ५ दिन चले ऐतिहासिक आंदोलन में उनकी आठ में से छह मांगें स्वीकार की गई थीं। इसमें हैदराबाद गजट से जुड़ी महत्वपूर्ण मांग भी शामिल थी। इसी कारण ओबीसी समाज नाराज़ हो गया और इस फैसले का तीव्र विरोध किया जा रहा है। उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए स्वतंत्र मंत्रिमंडल समिति गठित की है।

इस समिति में आठ मंत्रियों को शामिल किया गया है, अध्यक्ष पद मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले को सौंपा गया है। जबकि समिति में भाजपा के चार और शिवसेना व राष्ट्रवादी के २-२ मंत्रियों का समावेश किया गया है।

उपसमिति में किनका समावेश?

बावनकुले की अध्यक्षता वाली उपसमिति में भाजपा के गणेश नाईक, पंकजा मुंडे, अतुल सावे, शिंदे गुट के गुलाबराव पाटील और संजय राठोड़ तथा अजित पवार गुट के छगन भुजबळ और दत्तात्रय भरणे इन मंत्रियों को शामिल किया गया है।

समिति क्या काम करेगी?

मंत्रिमंडल जैसी ही शक्तियों वाली यह उपसमिति ओबीसी की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से जुड़ी योजनाओं व कार्यक्रमों पर काम करेगी। साथ ही ओबीसी की योजनाओं के कामकाज पर भी यह समिति नज़र रखेगी।

ओबीसी नेताओं में नाराज़गी

मराठा आरक्षण के लिए मराठा-कुनबी प्रमाणपत्र को लेकर सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया। शासन निर्णय जारी होते ही ओबीसी नेताओं में नाराज़गी का माहौल हो गया। राज्य के कई हिस्सों में सरकार द्वारा जारी जीआर की होली की गई। सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर विरोध दर्ज कराया गया।

## उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

# मराठा भाइयों, अब तो सावधान हो जाओ!

मराठा आरक्षण के लिए पिछले पाँच दिनों से चल रहे ऐतिहासिक मराठा आंदोलन का मंगलवार को सकारात्मक समापन हुआ। उच्च न्यायालय की मनाही के बावजूद, गणेशोत्सव के दौरान मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे-पाटिल के नेतृत्व में राज्य के कोने-कोने से आए लगभग ५०-६० हज़ार मराठा भाई-बहनों ने, बारिश की परवाह किए बिना, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आंदोलन में हिस्सा लिया। वहीं मुंबई की सीमा पर- ठाणे, वाशी और नेरुल क्षेत्रों में-करीब १०-१५ हज़ार भाई बैठे थे।

आंदोलन स्थल पर मोबाइल टॉयलेट और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव शुरू से ही महसूस हो रहा था। वहीं उडचढ, मेट्रो और फोर्ट इलाके की खानपान दुकानों तथा लालबाग के राजा सार्वजनिक मंडल की अन्नछत्र को अचानक बंद करने के पीछे प्रशासन की मंशा साफ झलक रही थी। पुराने राजाओं के जमाने में युद्ध के दौरान दुश्मन सैनिकों को हराने के लिए उनकी रसद और राशन काट दिया जाता था ताकि सुविधाओं के अभाव में सैनिक रणभूमि में अधिक देर तक टिक न सके। यह युद्धनीति का एक कुटिल दांव था। आज के दौर में आंदोलनकारियों को कमजोर करने के लिए ऐसा किसने किया होगा, यह समझने में देर नहीं लगी।

मगर इसका उपाय यह निकला कि दूसरे ही दिन से पूरे राज्य से टेंपो और ट्रक भरकर भाकरी, ठेचा, पिठला, फरसाण और सब्ज़ियाँ जैसे असली देसी खाद्य पदार्थ आने लगे। इतना सामान था कि वह महीनों तक पर्याप्त होता। इस तरह आंदोलनकारियों की खाने की समस्या दूर हो गई। इससे यह साफ हो गया कि जरांगे-पाटिल अब आरक्षण की माँग पूरी हुए बिना पीछे नहीं हटेंगे। जैसे ही यह स्थिति बनी, तीसरे-चौथे दिन से अचानक चैनलों पर आंदोलन के साइड इफेक्ट्स और अपप्रवृत्तियों को ज़ोर-शोर से दिखाया जाने लगा।

मतितार्थ

जमीर काज़ी

इसी बीच, उच्च न्यायालय ने भी दक्षिण मुंबई की प्रमुख जगहों और मार्गों पर जमावड़े से हुए अव्यवस्था पर सरकार को फटकार लगाई और कार्रवाई का आदेश दिया। ऐसे में आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इस पर संशय पैदा हो गया। लेकिन तभी मंत्रिमंडल उपसमिति ने हैदराबाद गज़ेट को तुरंत लागू करने का जीआर निकालने का निर्णय लिया, साथ ही सातारा गज़ेट की अमलवारी और मराठा और कुणबी एक ही हैं इस जीआर पर दो महीने में सकारात्मक निर्णय लेने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

जरांगे-पाटिल ने सरकार, मीडिया और न्यायालय जैसी सभी ओर से आंदोलन के खिलाफ बन रहे नकारात्मक माहौल को समझते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार कर आंदोलन समाप्त करने का सही निर्णय लिया। हालाँकि, सरकार द्वारा निकाले गए जीआर पर विद्वानों और जानकारों में मतभेद हैं। वास्तव में इस निर्णय से मराठा समाज को कितना लाभ होगा और क्या यह कानूनी और न्यायालयीन कसौटी पर टिक पाएगा, यह स्पष्ट होने में कुछ समय लगेगा।

मुंबई के इस ऐतिहासिक आंदोलन के अवसर पर समाज को शिक्षित करने वाली कई बातें सामने आईं। इस आंदोलन में मुस्लिम और दलित समाज ने पहले हुए ५४ मौन मोर्चों की तरह इस बार भी न केवल समर्थन दिया, बल्कि सक्रिय रूप से भागीदारी की। आंदोलनकारियों के खाने और पानी की व्यवस्था भी उन्होंने की। इसके विपरीत, हिंदुत्व के नाम पर बहुजन समाज का इस्तेमाल करके मुस्लिम द्वेष फैलाने वाली जातिवादी संस्थाएँ और संगठन सैकड़ों कदम दूर रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस आंदोलन को असफल करने के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से अपप्रचार भी किया।

इसलिए मराठा समाज को अब ऐसे से दूर रहना चाहिए। उनके कपटी षड्यंत्र को समझकर न केवल खुद को बल्कि अपने रिश्तेदारों और मित्रों को भी इससे बाहर निकालना चाहिए। केवल नफ़रत पर जीने वाली इन प्रवृत्तियों से भविष्य में होने वाले अपप्रचार का शिकार न बनते हुए देश की लोकतंत्र, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए।

**: जमीर काज़ी**

**(लेखक पिछले २५ वर्षों से मुंबई की मराठी और अंग्रेज़ी पत्रकारिता में सक्रिय हैं और उन्होंने सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर व्यापक लेखन किया है।)**

## संजय गांधी, श्रावणबाल योजनाओं के दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक मदद में १००० रुपये की बढ़ोतरी

### मंत्रिमंडल बैठक में 'जंबो' निर्णय

विशेष प्रतिनिधि

मुंबई :

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना और श्रावणबाल सेवा राज्य निवृत्ति पेंशन योजना के दिव्यांग लाभार्थियों की आर्थिक सहायता में १००० रुपये की बढ़ोतरी को बुधवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सह्याद्री अतिथिगृह में हुई बैठक में इसके साथ ही कुल १३ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

इन लाभार्थियों को अब तक १५०० रुपये की आर्थिक मदद दी जाती थी। अब यह बढ़ाकर २५०० रुपये कर दी गई है।

राज्य की संजय गांधी निराधार अनुदान योजना के तहत निराधार पुरुष, महिलाएं, अनाथ बच्चे, दिव्यांग के सभी वर्ग, निराधार विधवाएं आदि को हर महीने १५०० रुपये आर्थिक मदद दी जाती थी। वर्तमान में इस योजना में ४ लाख ५० हजार ७०० और श्रावणबाल योजना में २४ हजार ३ दिव्यांग लाभार्थी शामिल हैं। अब उन्हें हर महीने २५०० रुपये मिलेंगे और यह अनुदान अक्टूबर २०२५ से दिया जाएगा। इसके लिए आवश्यक ५७० करोड़ रुपये की व्यवस्था को मंजूरी दी गई है।

औष्णिक विद्युत उत्पादन केंद्र में राख के उपयोग से संबंधित नीति को मंजूरी

महानिर्मिति कंपनी के औष्णिक विद्युत उत्पादन केंद्र में बनने वाली राख के उपयोग से संबंधित नीति को मंजूरी दी गई है।

केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार औष्णिक विद्युत उत्पादन केंद्र में बनने वाली राख के उपयोग पर नीति वर्ष २०१६ में तय की गई थी। केंद्र सरकार के संशोधित मार्गदर्शक निर्देशों के अनुसार इस नीति में बदलाव का प्रस्ताव था। उसी के अनुसार इस नीति को मंजूरी दी गई। इस नीति द्वारा राख के १००% पर्यावरण-अनुकूल उपयोग की कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना

राज्य की सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना की जगह अब अनुसूचित जनजाति के कक्षा ९वीं और १०वीं में पढ़ने वाले छात्रों को केंद्र सरकार की पूर्व माध्यमिक छात्रवृत्ति योजना लागू की जाएगी। तुलना करने पर यह पाया गया कि केंद्र सरकार की योजना में राज्य सरकार की योजना से अधिक छात्रवृत्ति राशि मिलती है। इसलिए इन छात्रों को केंद्र की योजना लागू करने का निर्णय लिया गया।

मुंबई मेट्रो मार्गिका-११ परियोजना को मंजूरी

मुंबई के आणिक डिपो - वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो मार्गिका-११ परियोजना और इसके लिए आवश्यक २३ हजार ४८७ करोड़ ५१ लाख रुपये के खर्च को मंजूरी दी गई।

मुंबई मेट्रो मार्गिका-११, मुंबई मेट्रो मार्गिका-४ (वडाला-ठाणे-कासारवाडवली) का विस्तार है। इस मार्गिका की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (उझठ) दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (उच्चठउ) द्वारा तैयार की गई है। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना का काम करेगी। इसका ७०% हिस्सा भूमिगत होगा। इसमें १३ भूमिगत और १ भू-स्तर स्टेशन बनाए जाएंगे। यह १७.५१ किलोमीटर लंबी परियोजना है जिसे पहले ही पायाभूत सुविधा मंत्रिमंडल उपसमिति से मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार से ३१३७ करोड़ ७२ लाख रुपये के शेयर और ९१६ करोड़ ७४ लाख रुपये का बिना ब्याज का द्वितीयक कर्ज मांगा जाएगा।

अन्य मेट्रो परियोजनाओं को कर्ज की मंजूरी

ठाणे शहर की वर्तुलाकार मेट्रो परियोजना

पुणे शहर की पिंपरी-चिंचवड से निगड़ी मेट्रो रेल कॉरिडोर

स्वारगेट से कात्रज मेट्रो रेल कॉरिडोर

वनाज से रामवाड़ी (मार्गिका-२) का विस्तार (वनाज से चांदणी चौक और रामवाड़ी से वाघोली)

पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला-स्वारगेट-हडपसर-खराड़ी)

नळ स्टॉप-वारजे-माणिकबाग (उपमार्गिका)

नागपुर मेट्रो रेल चरण-२

इन मेट्रो परियोजनाओं के लिए आवश्यक कर्ज लेने को मंजूरी दी गई।

पुणे मेट्रो मार्ग पर दो नए स्टेशन

पुणे शहर में स्वारगेट से कात्रज मेट्रो मार्ग पर बालाजीनगर और बिबवेवाड़ी नामक दो नए स्टेशन बनाने तथा कात्रज मेट्रो स्टेशन को दक्षिण दिशा में लगभग ४२१ मीटर स्थानांतरित करने और इसके लिए ६८३ करोड़ ११ लाख रुपये खर्च की मंजूरी दी गई।

पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण-१ की कुल ३३.२८ किमी लंबाई की दो मार्गिकाओं का काम महामेट्रो के माध्यम से चल रहा है।

मार्गिका-१: पिंपरी-चिंचवड से स्वारगेट (१७.५३ किमी, १४ स्टेशन)

मार्गिका-२: वनाज से रामवाड़ी (५५.७५ किमी, १६ उन्नत स्टेशन)

इन दोनों पर मेट्रो सेवा शुरू है। पुणे मेट्रो मार्ग-३ (हिंजवड़ी से शिवाजीनगर, २३.३ किमी) परियोजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (झझझ) के तहत पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही है।

मुंबई के लिए २३८ वातानुकूलित लोकल गाड़ियां मुंबई नागरी परिवहन परियोजना चरण-३ और ३- के अंतर्गत २३८ वातानुकूलित लोकल गाड़ियां (उपनगरीय रेल) खरीदने के लिए ४८२६ करोड़ रुपये खर्च को मंजूरी दी गई। इन ट्रेनों की खरीद बाहरी कर्ज लेने के बजाय रेलवे और राज्य सरकार की निधि से ही की जाएगी। इसमें राज्य सरकार का हिस्सा ५०% यानी २४१३ करोड़ रुपये रहेगा।

मुंबई नागरी परिवहन परियोजना के १३६ किमी नए मार्गों को मंजूरी

मुंबई नागरी परिवहन परियोजना (चणढझ-३इ) के अंतर्गत मुंबई रेलवे विकास निगम द्वारा प्रस्तावित १३६.६५२ किमी लंबाई और १४ हजार ९०७ करोड़ ४७ लाख रुपये लागत वाले प्रकल्पों को मंजूरी दी गई। इस खर्च में से ५०% यानी ७४५३ करोड़ ७३ लाख रुपये का आर्थिक भार राज्य सरकार उठाएगी।

## बीड़ से अहमदनगर मार्ग की रेलगाड़ी को अजित पवार दिखाएंगे १७ सितंबर को हरी झंडी

जमीर काज़ी

मुंबई :-

बीड़ शहर जल्द ही रेलवे के नक्शे पर आने जा रहा है और मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम दिवस पर बीड़ से अहमदनगर रेलगाड़ी शुरू की जाएगी। इससे बीड़वासियों का कई वर्षों से अधूरा रेलसेवा का सपना पूरा होगा। आने वाले १७ सितंबर को बीड़ से अहमदनगर रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर प्रारंभ करने का निर्णय बुधवार को उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में सह्याद्री अतिथिगृह में हुई बैठक में लिया गया।

बीड़ से परली वैजनाथ तक के रेलमार्ग में बची हुई अड़चनों को दूर कर तेजी से काम पूरा करने के भी निर्देश पवार ने अधिकारियों को दिए।

इस मौके पर महापारेषण कंपनी के महाव्यवस्थापक संजीव कुमार, सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव दशपुते, वित्त विभाग की सचिव (वित्तीय सुधार) शैला ए, उपमुख्यमंत्री के सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सहसचिव (परिवहन) राजेंद्र होलकर, रेलवे के मुख्य विद्युत अभियंता विनीत कुमार, रेलवे पुणे विभाग के अपर विभागीय प्रबंधक पद्मसिंह जाधव, मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक मिलिंद हिरवे, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी स्वप्नील नीला, मुख्य अभियंता प्रशांत भेगड़े आदि उपस्थित थे। साथ ही दूरदर्शन प्रणाली से छत्रपति संभाजीनगर के विभागीय आयुक्त जितेंद्र पापळकर, बीड़ जिलाधिकारी विवेक जॉन्सन, जिला पुलिस अधीक्षक नवनीत कॉवत ने भी सहभाग लिया।

उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि बीड़ से परली वैजनाथ रेलमार्ग के भूमि अधिग्रहण से जुड़े लंबित प्रकरणों को बीड़ जिला प्रशासन तुरंत निपटाए और आवश्यक भूमि उपलब्ध कराए। इस रेलमार्ग के लिए राज्य शासन का हिस्सा तुरंत अदा किया जाए। बजट में स्वीकृत १५० करोड़ रुपये प्रदान किए जाएं और शेष १५० करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाए। रेलवे द्वारा अब तक दिए गए निधि के उपयोगिता प्रमाणपत्र देने की कार्रवाई की जाए। फलटण से लोणंद तक के रेलमार्ग का काम किया जाए। बारामती रेलवे स्टेशन के काम का निरीक्षण रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी करें और काम को गति देकर आने वाले समय में सुसज्ज रेलवे स्टेशन यात्रियों की सेवा के लिए उपलब्ध कराएं, ऐसे निर्देश भी उपमुख्यमंत्री पवार ने दिए। ऐसा है अहमदनगर - बीड़ - परली रेलमार्ग

रेलमार्ग की कुल लंबाई: २६१.२५ किलोमीटर

कुल भूमि अधिग्रहण: १८२२.१६८ हेक्टेयर

रेल के नीचे कुल पुल: १३०

रेल के ऊपर पुल: ६५

बड़े पुलों की संख्या: ६५

छोटे पुल: ३०२

द्वितीय प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार परियोजना की कुल लागत: ४८०५.१७ करोड़ रुपये

परियोजना का केंद्र और राज्य शासन का हिस्सा (५०:५० प्रतिशत) : प्रत्येक का २४०२.५९ करोड़ रुपये

## संवेदनशील परळीकरों का अन्याय के खिलाफ लढाऊ स्वभाव!

### पीड़िता के परिवार को परळीकरों ने पैदल चलते-चलते जमा करके दिए ८५ हजार रुपये!

परळी वैजनाथ, प्रतिनिधि....

परळी रेलवे स्टेशन पर दिनांक ३१ को इंसानियत को कलंकित करने वाली घटना घटी। पंढरपुर के एक परिवार की एक मासूम बच्ची पर यौन अत्याचार हुआ। इस मामले में परळीकरों ने आज (दि. ३) एकजुट होकर बंद का पालन किया। साथ ही लाखों की संख्या में मौन मोर्चे में शामिल होकर इस घटना का विरोध जताया। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार को ८५ हजार रुपये की मदद भी सौंपी गई।

पंढरपुर के एक मज़दूर परिवार के साथ परळी रेलवे स्टेशन पर यह दर्दनाक घटना हुई। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना परळी में घटी, इस बात ने हर संवेदनशील और सजग परळीकर के दिल को झकझोर दिया। मासूम पर हुए यौन अत्याचार के दोषी को फांसी की सजा दी जाए और यह मामला फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चले - इस मांग के लिए परळीकरों ने जात-धर्म का भेदभाव छोड़ एकजुट होकर स्वाभाविक रूप से बंद का पालन किया और सड़क पर उतरकर अपनी संवेदनशीलता और सकारात्मकता दिखाई।

अठारह पगडियों के जाति-धर्म के लोग केवल विरोध दर्ज कराने नहीं उतरे बल्कि पीड़िता के पुनर्वसन के लिए आर्थिक मदद भी की। परळीकरों ने पै-पै जोड़कर कुल ८५ हजार रुपये का कोष जमा किया और पीड़ित परिवार को सौंप दिया।

रेलवे स्टेशन पर हुई इस मासूम पर अत्याचार की घटना को लेकर परळीकरों में शुरू से ही आक्रोश था। प्रभु वैद्यनाथ की पवित्र भूमि पर ऐसी हैवानियत पनप रही है तो उसे समय रहते कुचलना ज़रूरी है - इस सोच के साथ परळीकरों ने पूरे दिन कड़ा बंद रखा। रानी लक्ष्मीबाई टॉवर से मौन मोर्चे की शुरुआत हुई और यह मोर्चा शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए रेलवे स्टेशन तक गया। इसमें शहर के सभी वर्गों, सभी धर्मों और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। खास बात यह रही कि महिलाओं ने भी इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया और आरोपी को फांसी देने की जोरदार मांग की।

इसके साथ ही यह मामला फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाने, रेलवे स्टेशन की सुरक्षा में लापरवाही बरतने वाले आरपीएफ और रेलवे पुलिस के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की गई।

रेलवे स्टेशन परिसर में शराबी को महिलाओं ने किया थप्पड़ों से सबक

मौन मोर्चा जब रेलवे स्टेशन परिसर में पहुंचा, तभी उसी क्षेत्र में शराब के नशे में धुत एक शख्स दबा बैठा था। कुछ महिलाओं ने उसे देखा और टोका। उसने महिलाओं से उलझने की कोशिश की तो गुस्साई महिलाओं ने वहीं चप्पलों से उसकी पिटाई कर दी। मोर्चे में शामिल अन्य लोगों ने भी यह मामला पुलिस और रेलवे प्रशासन के ध्यान में लाया। इससे स्टेशन परिसर में फैले नशेड़ियों का मुद्दा फिर गंभीरता से उठ खड़ा हुआ है और अब प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा या नहीं - यह सवाल भी उठाया जा रहा है।

पीड़ित परिवार को ८५ हजार रुपये की आर्थिक मदद

केवल बंद और विरोध तक सीमित न रहते हुए परळीकरों ने पीड़िता को सहारा भी दिया। मौन मोर्चे के दौरान पैदल चलते-चलते आर्थिक मदद जुटाई गई और ८५ हजार रुपये पीड़ित परिवार को सौंपे गए।

यही है असली परळी की संस्कृति और मानसिकता...

इस अन्यायपूर्ण और इंसानियत को कलंकित करने वाली घटना पर परळीकरों की संवेदनशीलता और एकता सामने आई। बाहरी व्यक्ति पर भी अन्याय न हो - इस भावना ने परळीकरों को एकजुट किया। बेटी के लिए जाति-धर्म की कोई दीवार नहीं आई। सबने मिलकर आर्थिक और सामाजिक सहारा दिया।

केवल विरोध ही नहीं, बल्कि पीड़िता और उसके परिवार के पुनर्वसन के लिए बड़ा कोष जमा करना - यही परळीकरों की सामाजिक जागरूकता को दर्शाता है।

इस घटना ने यह भी साबित किया कि किसी भी बहाने से परळी की छवि खराब करने वालों को परळीकरों ने करारा जवाब दिया है और दिखा दिया - यह है असली परळी की मानसिकता और संस्कृति।

**दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com**

**daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com**